न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेश जोशी
आर.ए.एस.

मिसल संख्याः	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
75/अपील/2015	24.08.2015	09.08.2019

गिरिराज प्रसाद आ. धूली लाल जाति ब्राह्मण निवासी हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (राजस्थान)

– अपीलांट

– बनाम –

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

– रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 31.12.2014
तहसीलदार, हिण्डोली
अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम।
अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :–

अपीलांट की ओर से – श्री कैलाश चंद गुप्ता, अभिभाषक।
रेस्पोडेन्ट की ओर से – पेरोकार सरकार

–: निर्णय :–

यह अपील तहसीलदार, हिण्डोली द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.12.2014 से अप्रसन्न होकर अपीलान्ट ने अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश के तहत अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 2631 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा किस्म सिवायचक गै.मू.बरडा वाके ग्राम हिण्डोली तहसील हिण्डोली का अतिचारी मानते हुये धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत बाड़ा बनाकर बेदखली, पैनाल्टी 225/– रूपये से दण्डित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस अभिभाषक अपीलान्ट व पेरोकार सरकार सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित भूमि पर अपीलांट द्वारा अतिक्रमण किया गया है। जिसकी पेशी दिनांक 31.12.2014 नियत थी। इस पेशी पर अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ एवं लिखित में जवाब प्रस्तुत किया लेकिन उस दिन तहसीलदार, कार्यालय से बाहर होने के कारण रीडर द्वारा आगामी पेशी के लिये 12.01.2015 नियत कर

दी और अपीलांट का ऑर्डर शीट पर हस्ताक्षर करवा लिये। उक्त दिनांक को अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ लेकिन कोई सुनवाई नहीं और आगामी पेश 28.01.2015 नियत कर दी गई, उक्त दिनांक को भी अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ और सम्बन्धित लिपिक ने तहसीलदार बाहर गये हुये प्रकट होना जाहिर कर की आगामी पेश की सूचना दे दी जावेगी। अपीलांट को तहसील कार्यालय से नोटिस क्रमांक 1452 दिनांक 30.07.2015 को प्राप्त हुआ। जिसमें प्रकरण का निर्णय दिनांक 31.12.2014 को किया जाकर बेदखली का आदेश किया जाना अंकित किया है। अतिक्रमण नहीं हटाने पर माल मेटरियल जप्त सरकार करने का आदेश दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय वस्तु स्थिति व विधान के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय है। उक्त विवादित भूमि पर अपीलान्ट का वर्ष 1970 से कब्जा चला आ रहा है। उसी समय अपीलान्ट इस भूखण्ड के चारो ओर पत्थर की बाउण्ड्री का निर्माण करवा लिया था। अपीलान्ट हिण्डोली का मूल निवासी है। इस भूखण्ड पर चारा, फसल, कृषि सामान आदि रखता है। मवेशी बांधता है एवं कुछ भाग पर मवेशियों की चारा की फसल करता है। उक्त विवादित भूमि पर अपीलान्ट का 45 वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलान्ट ने दिनांक 14.08.1981 को अधीनस्थ न्यायालय में उक्त विवादित भूखण्ड नियमन किये जाने के लिये निर्धारित प्रारूप में राजस्व विभाग के परिपत्र सं. एफ.6(70) राजस्व/स/69 दिनांक 03.07.1971 के अनुसरण में प्रस्तुत किया था। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आवेदन पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं करते हुये अपीलांट की पूर्ण सुनवाई नहीं करते हुये अपीलान्ट के विवादित भूखण्ड को नियमन नहीं करते हुये अपीलान्ट को बेदखल एवं शास्ति के आरोप से दण्डित किया गया है। जो उचित एवं न्यायसंगत नहीं है। उक्त विवादित भूमि का कोई सार्वजनिक उपयोग संभव नहीं है। अपीलान्ट को बेदखल कर दिया गया तो अपीलान्ट को मवेशी बांधने, फसल, चारा एवं कृषि उपकरण रखने की परेशानी उत्पन्न हो जावेगी। अभिभाषक अपीलांट ने अपने बहस के समर्थन में आर.आर.डी. 1987 पेज 54, आर.आर.डी. 1987 पेज 239 की नजीरे पेश कर निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 29.12.2014 निरस्त किया जावे एवं अतिक्रमित भूखण्ड अपीलान्ट के नाम नियमन करने का आदेश फरमाया जावे।

पेरोकार–सरकार ने बहस के दौरान अपने मौखिक तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलान्ट का सिवायचक गै.मू.बरडा भूमि पर पत्थर की बाउण्ड्री लगाकर अतिक्रमण कर रखा है। अतिक्रमित भूमि आबादी क्षेत्र में स्थित है। अतिक्रमित भूमि के पास अपीलान्ट की कोई खातेदारी भूमि नहीं है जिससे कृषि यंत्र आदि रखता हो। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् नोटिस दिया गया है तथा अपीलान्ट को सुनवाई का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवसर दिया गया है। अतिक्रमित भूमि नियमन की श्रेणी में नहीं आती है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड पटवारी के

अवलोकन से प्रकट है कि अपीलांट ने विवादित भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। पटवारी रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत नोटिस दिया गया है। विधिवत नोटिस दिया जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित भी हुआ है। अपीलान्ट ने निवेदन किया है कि उसका वर्ष 1970 से विवादित भूमि पर कब्जा है एवं कृषि यंत्र एवं जानवर रखने हेतु बाडा बना रखा है। जिसके लिये नियमन हेतु आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय में भी पेश किया गया है। जिस पर कोई विचार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है। अतिक्रमित भूमि के आस–पास अपीलान्ट की कोई खातेदारी भूमि भी स्थित नहीं है। जिससे वह वहां पर कृषि यंत्र आदि रखता हो। वर्ष 1970 से लगातार उक्त भूमि पर अतिक्रमण बाबत् साक्ष्य व दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं किये है। जिससे उसका पुराना कब्जा काश्त साबित होता हो। विवादित भूमि आबादी क्षेत्र में है। उक्त विवादित भूमि अपीलान्ट के नियमन की श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आती है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 31.12.2014 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 09.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश जोशी R.A.S.)
अति0
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बून्दी (राज0)